कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सरगुजा (छ.ग)

फोन एवं फैक्स नं0 07774–224332, ई–मेलः mining.surguja@gmail.com

क्रमांक / 1325 / खनिज / ख.लि.3 / रेत / 2019 **अम्बिकापुर,दिनांक 07 / 10 / 2019**

प्रति,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एन.आई.सी, अम्बिकापुर
जिला सरगुजा

विषयः– सरगुजा जिला अंतर्गत नीलामी (रिवर्स आक्शन) के माध्यम से रेत खदानों के आबंटन हेतु एनआईटी जारी करने की सूचना अपलोड करने बावत्।

––00––

सरगुजा जिला अंतर्गत नीलामी (रिवर्स आक्शन) के माध्यम से रेत खदान सरगुजा–A समूह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राधापुर खसरा क्रमांक 285 रकबा 5.00 हे. एवं ग्राम पंचायत प्रतापगढ खसरा क्रमांक 1122 रकबा 5.00 हे. तथा रेत खदान सरगुजा–C समूह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कवलगिरी खसरा क्रमांक 574 रकबा 5.00 हे. एवं रेत खदान समूह सरगुजा– D समूह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जजगा खसरा क्रमांक 1456 रकबा 5.00 हे0 क्षेत्र रेत उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु एनआईटी दिनांक 07.10.2019 को जारी की गई है। उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संलग्न विज्ञप्ति को शीघ्र जिला सरगुजा के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नः– 1. एनआईटी जारी होने के सूचना की प्रति।
2. संबंधित रेत खदान के खसरा पांचसाला, राजस्व नक्शा, ग्राम पंचायत प्रस्ताव।
3. सीलिंग प्राईज की गणना पत्रक।

07.X.19
for उप संचालक (ख.प्र.)
जिला सरगुजा छ.ग.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सरगुजा (छ.ग)

फोन एवं फैक्स नं0 07774–224332, ई–मेल: mining.surguja@gmail.com

क्रमांक/1366/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 05/10/2019

Event No. - SURGUJA- 02-07-10-2019

निविदा आमंत्रण सूचना

गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन पट्टा के आबंटन की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रपत्र

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सरगुजा **छत्तीसगढ़** द्वारा छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम–6 के तहत् नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से रेत खदान समूहों के अन्तर्गत रेत उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है, जिस हेतु अर्हता प्राप्त बोलीदार नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में भाग ले सकता है।

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली, दिनांक 28.10.2019 से 04.11.2019 (07 दिवस) तक जमा की जाएगी। बोली केवल बंद लिफाफा के माध्यम से संबंधित जिला कार्यालय में स्वीकार की जाएगी।

उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु प्रस्तावित समूहों की जानकारी :–

जिले का नाम – सरगुजा

क्र.	खदान समूह का नाम	तहसील	खदान कोड/ग्राम/ग्राम पंचायत	रकबा (हेक्टेयर में)	ख. नं.	निविदा प्रक्रिया शुल्क (राशि)	उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10
1	सरगुजा–A	सीतापुर	A-1 राधापुर	5.00 हे.	285	10000/–	100 रू प्रति घ.मी.	1. 200000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 20 प्रतिशत) या 2. 400000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 40 प्रतिशत) सिलिंग प्राईज से 60 प्रतिशत से कम बोली लगाने पर	10,00,000 रूपये (1,00,000 रूपये प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिये)
			A-2 प्रतापगढ	5.00 हे.	1122				

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा,अम्बिकापुर
(छ.ग.)

क्र.	खदान समूह का नाम	तहसील	खदान कोड/ग्राम/ग्राम पंचायत	रकबा (हेक्टेयर में)	ख. नं.	निविदा प्रक्रिया शुल्क (राशि)	उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10
2	सरगुजा–C	उदयपुर	कवलगिरी	5.00 हे.	574	10000/–	100 रू प्रति घ.मी.	100000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 20 प्रतिशत) या 2. 200000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 40 प्रतिशत) सिलिंग प्राईज से 60 प्रतिशत से कम बोली लगाने पर	500000 रूपये (1,00,000 रूपये प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिये)
3	सरगुजा–D	उदयपुर	जजगा -	5.00 हे.	1456	10000/–	100 रू प्रति घ.मी.	100000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 20 प्रतिशत) या 2. 200000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 40 प्रतिशत) सिलिंग प्राईज से 60 प्रतिशत से कम बोली लगाने पर	500000 रूपये (1,00,000 रूपये प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिये)

1.0 महत्वपूर्ण

1.1 बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व रेत खदान की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच मार्ग (निजी भूमि होने की स्थिति में) आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें नीलामी के किसी भी चरण में स्वीकार नहीं की जायेगी।

1.2 प्रत्येक समूह के लिये पृथक–पृथक बोली प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी में प्रस्तुत बोली में समूह विशेष के नाम का उल्लेख नही होने की दशा में या एक ही बोली प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत बोली प्रथम समूह के लिए ही मान्य की जावेगी तथा इस पर किसी भी प्रकार की दावा–आपत्ति स्वीकार्य नही होगा।

1.3 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) से उत्खनन पट्टा प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी जिला कार्यालय, खनि शाखा से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा,अम्बिकापुर
(छ.ग.)

2.0 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति :–

2.1 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के तहत् प्रस्तुत किया जाना होगा अन्यथा नहीं।

2.2 उच्चतम निर्धारित मूल्य से 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में नीलामी के लिए निर्धारित बोली प्रतिभूति (Bid Security) से दोगुना राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

2.3 कंडिका 2.2 के तहत् 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में दुगुनी राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा न पाये जाने पर बोली अपुर्ण एवं निरस्त माना जाएगा।

2.4 उच्चतम निर्धारित मूल्य से किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत के नीचे बोली नहीं लगाई जा सकेगी।

2.5 उच्चतम निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम बोली प्रस्तुत करने पर उक्त बोली स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

2.6 राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 9(र) के अंतर्गत जारी निर्देश के अनुसार "जिले में, एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा अधिकतम किसी एक रेत खदान समूह हेतु ही बोली स्वीकार्य की जायेगी। प्रदेश में एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोलियों में से अधिकतम 05 खदान समूहों के लिये ही बोली स्वीकार की जायेगी। इस हेतु उक्त व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को जिला स्तर में एक समूह से अधिक एवं प्रदेश स्तर पर 05 से अधिक समूहों में अधिमानी बोलीदार घोषित होने की स्थिति में प्रस्तुत अन्य बोली, स्वमेव निरस्त मानी जायेगी"।

2.7 अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पश्चात अधिमानी बोलीदार को छोड़कर अन्य समस्त बोलीदारो की बोली प्रतिभूति वापस किया जायेगा। अधिमानी बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति, कार्यपालन प्रतिभूति जमा किये जाने पर वापस किया जायेगा।

3.0 उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु पात्रता :–

3.1 किसी भी व्यक्ति को तब तक साधारण रेत का उत्खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि, बोलीकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो या कंपनी/फर्म/सोसायटी/सहकारी सोसायटी होने पर, संबंधित अधिनियमो/नियमों के अधीन पंजीकृत हो, और अन्यथा इन नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करते हों, परंतु यदि बोलीदार एक कंपनी/फर्म/सोसायटी हो तो कम से कम तीन चौथाई अंशधारिता, ऐसी कंपनी/फर्म/सोसायटी/सहकारी सोसायटी के धारक के पास होनी चाहिये, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों।

3.2 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रकिया में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मात्र बोलिदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जाएगा। तकनीकी अर्हता प्राप्त नहीं होने वाले व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोली स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

3.3 अधिमानी बोलिदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलिदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

BM

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

4.0 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) :–

4.1 नीलामी, पारदर्शी पद्धतियों के अनुपालन संबंधी राज्य शासन एवं संचालक द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।

4.2 बोली प्रस्तुत करने हेतु अर्हित दस्तावेज एवं उद्धृत बोली, बंद लिफाफा में अलग–अलग जमा किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा में एन.आई.टी. में उल्लेखित अर्हित दस्तावेज रहेगा। द्वितीय लिफाफा में वित्तीय बोली रहेगी जिसे प्रथम लिफाफा के भीतर ही डाल कर प्रस्तुत किया जायेगा।

5.0 बोली लगाने के मानक :–

5.1 जिला स्तरीय समिति द्वारा एक निश्चित कीमत निर्धारित करेगा, जिसे उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) कहा जाएगा। यह राशि निकास किये जाने वाले खनिज के लिए प्रति घन मीटर मानक इकाई होगी।

5.2 बोलीदार द्वारा निलामी राशि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकास किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए निर्धारित रूपए प्रति घन मीटर उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) से कम राशि उद्धृत की जाएगी।

5.3 नीलामी (रिवर्स आक्शन) हेतु बोली लगाने के लिये राशि का मानक ईकाई रुपये में होगा।

5.4 नीलामी राशि, प्रेषित किये गये प्रति घन मीटर खनिज की मात्रा पर राज्य शासन को देय होगी।

6.0 बोली लगाने की प्रकिया :–

6.1 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), बोली लगाने की प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 21 दिवस पूर्व जिले के वेबसाईट / प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन तथा जिला कार्यालय (खनिज शाखा), संबंधित ग्राम / जनपद / जिला पंचायत भवन के सुचना पटल पर प्रदर्शित होगी। जो निःशुल्क अवलोकनार्थ होगा।

6.2 उत्खननपट्टा की नीलामी में भाग लेने के लिये, आवेदक को छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत् बोलीदार को नीलामी में निर्धारित प्रकिया अनुरूप आधार कार्ड / पैन / जीएसटीएन / छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाणपत्र (यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म, एसोसिएशन अथवा कंपनी के संबंध में) तथा सौ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

6.3 संभावित बोलीदारों को नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के पश्चात् 21 दिन की कालावधि प्रदान की जाएगी। जिसके पश्चात् बोली लगाने की प्रकिया प्रारंभ होगी।

6.4 वह बोलीदार जो इस एनआँटी के कंडिका कमांक 2.2 से 2.5 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरुप सिलिंग प्राईज से न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने पर अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जाएगा।

6.5 दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप बोली की दशा में उनके बीच लॉटरी पद्यति अनुसार अधिमानी बोलीदार का चयन किया जाएगा।

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

6.6 यदि नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्वि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

6.7 लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को होगा।

6.8 बोलीदार नीलामी हेतु अंतिम तिथि (बिड ड्यू डेट) तक अपनी पूर्व में प्रस्तुत की गई बोली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेगा।

6.9 जिला कार्यालय द्वारा न्यूनतम बोली प्रस्तुतकर्ता को लिखित में एवं ई–मेल के माध्यम से अधिमानी बोलीदार (प्रीफर्ड बिडर) घोषित किये जाने की सूचना दिया जायेगा।

6.10 अधिमानी बोलीदार घोषणा तिथि के 15 दिवस के भीतर, बोलीदार द्वारा बैंक गारंटी के रूप में उपरोक्त दर्शित तालिका के कॉलम कमांक 10 अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) जमा किया जाना होगा।

6.11 अधिमानी बोलीदार द्वारा कंडिका 6.10 के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने पर अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी किया जायेगा।

6.12 अधिमानी बोलीदार को जारी आशय पत्र में उल्लेख अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर शर्तो/दस्तावेजो को पूर्ण करने उपरांत सफल बोलीदार घोषित करते हुये उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

6.13 अधिमानी बोलीदार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कार्यपालन प्रतिभूति जमा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति जब्त योग्य होगी।

6.14 नीलामी प्रकिया में किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति होने पर कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6.15 छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 यथासंशोधित नियम में उल्लेखित अन्य प्रावधान लागू होंगे।

7.0 बोलीदार द्वारा नीलामी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है :–

7.1 पैनकार्ड/टिन नंबर/जी.एस.टी नंबर

7.2 शपथ पत्र (एफिडेविट)

7.3 फर्म अथवा कंपनी की स्थिति में शपथकर्ता के पक्ष में विधिवत् Power of Attorney/Authorization letter.

7.4 छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र।

7.5 आधार कार्ड (निवास प्रमाणीकरण हेतु)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

परिशिष्ट–'एक'

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए समय सारिणी

क0	गतिविधियां	समयसीमा
(1)	(2)	(3)
1.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का वेबसाईट एवं सूचना पटल पर प्रकाशन	07.10.2019
2.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की आरंभिक तिथि	28.10.2019
3.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की अंतिम तिथि	04.11.2019
4.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) खोलने तथा तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा की तिथि	06.11.2019 सुबह 11.00 बजे
5.	निविदा खोलने एवं अधिमानी बोलीदार घोषित करने की तिथि	06.11.2019 अपरान्ह 3.00 बजे
6.	कार्यपालन प्रतिभूति जमा करने की तिथि	21.11.2019
7.	आशय पत्र जारी करने की तिथि	22.11.2019

नोटः– कंडिका 3 से 7 संबंधी निर्धारित समय सारिणी, शासकीय अवकाश होने की दशा में निर्धारित कार्य आगामी कार्य दिवस में किया जावेगा।

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

परिशिष्ट–दो

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु चिन्हांकित रेत खदानों का विवरण

1. रेत खदान समूह का नाम :– सरगुजा A

(1.1) रेत खदान का नाम :– A-1 राधापुर (5.00 हे.)

स.क्र.	विवरण	हाँ / नहीं	रिमार्क
1.	टोपोशीट नंबर –	हाँ	64N/5,6,9,10
2.	अक्षांश / देशांश –	(A) 22 43′56.53″ N	(A) 83 28′23.59″ E
		(B) 22 43′54.32″ N	(B) 83 28′23.59″ E
		(C) 22 43′53.87″ N	(C) 83 28′16.64″ E
		(D) 22 43′53.94″ N	(D) 83 28′8.06″ E
		(E) 22 43′55.33″ N	(E) 83 27′59.92″ E
		(F) 22 43′57.54″ N	(F) 83 28′00.03″ E
		(G) 22 43′55.95″ N	(G) 83 28′6.27″ E
		(H) 22 43′56.64″ N	(H) 83 28′14.20″ E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज के दस्तावेज	100 रूपये प्रति घन मीटर	
4.	सीमांकन पंचनामा	लागू नहीं	
5.	खसरा पांचसाला	हाँ	
6.	राजस्व नक्शा	हाँ	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हाँ	

(1.2) रेत खदान का नाम :– A-2 प्रतापगढ़ (5.00 हे.)

स.क्र.	विवरण	हाँ / नहीं	रिमार्क
1.	टोपोशीट नंबर –	हाँ	64N /6
2.	अक्षांश / देशांश –	(A) 22 43′59.87″ N	(A) 83 28′48.71″ E
		(B) 22 43′57.90″ N	(B) 83 28′48.53″ E
		(C) 22 43′57.45″ N	(C) 83 29′12.82″ E
		(D) 22 43′59.96″ N	(D) 83 29′12.81″ E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज के दस्तावेज	100 रूपये प्रति घन मीटर	
4.	सीमांकन पंचनामा	लागू नहीं	
5.	खसरा पांचसाला	हाँ	
6.	राजस्व नक्शा	हाँ	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हाँ	

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा,अम्बिकापुर
(छ.ग.)

2. रेत खदान समूह का नाम :– सरगुजा C

रेत खदान का नाम :– C कवलगिरी (5.00 हे.)

स.क्र.	विवरण	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	टोपोशीट नंबर –	हाँ	64 J/13
2.	अक्षांश/देशांश –	(A) 22 58'13.99" N	(A) 82 57'13.00" E
		(B) 22 58' 70.03" N	(B) 82 57'23.21" E
		(C) 22 58'70.65" N	(C) 82 57'38.15" E
		(D) 22 58'60.35" N	(D) 82 57'37.35" E
		(E) 22 58'50.28" N	(C) 82 57'22.11" E
		(F) 22 58'10.31" N	(D) 82 57'11.48" E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज के दस्तावेज	100 रूपये प्रति घन मीटर	
4.	सीमांकन पंचनामा	लागू नहीं	
5.	खसरा पांचसाला	हाँ	
6.	राजस्व नक्शा	हाँ	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हाँ	

3. रेत खदान समूह का नाम :– सरगुजा D

रेत खदान का नाम :– D जजगा (5.00 हे.)

स.क्र.	विवरण	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	टोपोशीट नंबर –	हाँ	64 J/13
2.	अक्षांश/देशांश –	(A) 22 56'9.90"N	(A) 82 58'42.35" E
		(B) 22 55'46.97" N	(B) 82 59'01.63" E
		(C) 22 55'46.53" N	(C) 82 58'59.79" E
		(D) 22 56'09.07" N	(D) 82 58'40.85" E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज के दस्तावेज	100 रूपये प्रति घन मीटर	
4.	सीमांकन पंचनामा	लागू नहीं	
5.	खसरा पांचसाला	हाँ	
6.	राजस्व नक्शा	हाँ	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हाँ	

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

कार्यवाही बैठक की नकल

ग्राम पंचायत राधापुर   दिनांक 15.10.2015

विकास खण्ड सीतापुर   तहसील सीतापुर   जिला सरगुजा   **सत्य प्रतिलिपि**

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्री बोधराम - सरपंच	प्रस्ताव क्र. 22 रेत खदान घोषित करने के संबंध में।	आज दिनांक 13/10/2015 को सरपंच श्री बोधराम की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक में उपस्थित श्री कैलाश सिंह पंच के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम पंचायत राधापुर मान नदी से लगा हुआ है तथा नदी में काफी मात्रा में रेत उपलब्ध है, रेत खदान हेतु प्रस्तावित है उक्त रेत खदान स्थल का ख० नं० 285 रकबा 5.000 हे० रकबे रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	सही
2	श्री राजेन्द्र अग्रवाल उपसरपंच				
3	श्रीमती हिरामुनी - पंच				
13	श्री कैलाश सिंह - पंच				

सचिव
ग्राम पंचायत–राधापुर
ज.पं.–सीतापुर, सरगुजा (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत–राधापुर
ज.पं.–सीतापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक .... दिनांक .... सचिव .... सरपंच .... ग्राम पंचायत ....

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

पृष्ट क्र: 1
भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्योरा रुपये पैसों में

तिथि: २/१२/२०१५

फार्म पी-II

खसरा

फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना ५ से ११ में खरीफ की जानकारी - की है
खाना ५ से ११ में रबी की जानकारी - की है

ग्राम राधापुर **हल्का** ०००१३ **रा.नि.मं.** सीतापुर **तहसील** सीतापुर **जिला** सरगुजा **वर्ष** २०१५-२०१६

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमिधारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम , लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
२८५	९.३०४ भू-जल ९.३०४				-						छत्तीसगढ़ शासन

Developed By NIC

भूमि क्रय विक्रय छोड़कर अन्य कार्य हेतु

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :
नाम, पद एवं दिनांक :
प्रभारी अधिकारी
भूइयां कार्यक्रम
... सीतापुर, सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

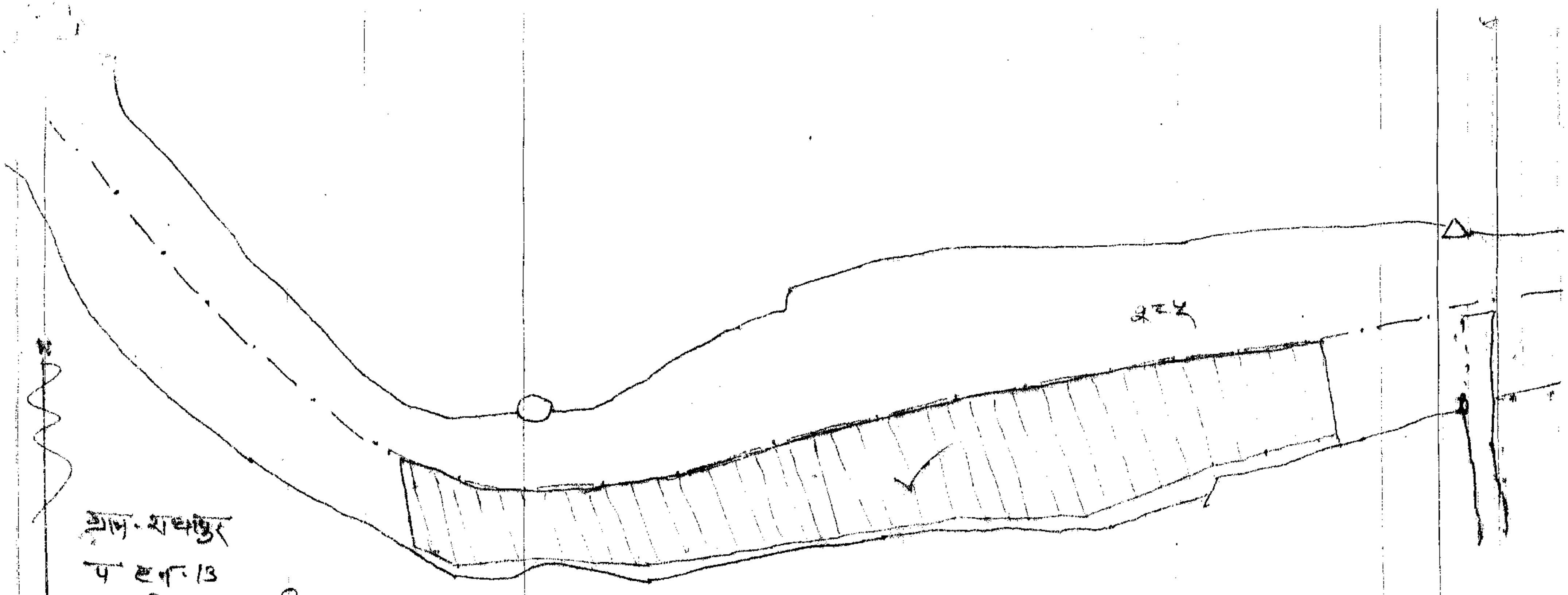

ग्राम - राधापुर
प. ह. न. 13
रा. नि. मं. [illegible] सीतापुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)
स्केल - 1/4000
वर्ष 2015-16

नोट - ▨ रेत खदान हेतु प्रस्तावित है। रकबा 2.000 हे.

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

Pramod Singh
Patwari C.N. 13
R.C.M./Tah. Sitapur
Distt. Surguja (C.G.)

कार्यवाही बैठक की नकल

ग्राम-पंचायत प्रतापगढ़

विकास खण्ड सीतापुर तहसील जिला सीतापुर (सरगुजा) (छ.ग.)

उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ
ग्राम सभा मे उपस्थित सदस्यो की संख्या 345	प्रस्ताव क्र. 06 मांड नदी ग्राम प्रतापगढ़ के खसरा नं. 1122 के रकबा 12.950 हे. मे रेत खदान के संबंध मे	आज दिनांक 26.12.2013 को ग्राम सभा की बैठक श्रीमति [illegible] बाई की अध्यक्षता मे संपन्न हुआ। बैठक मे सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रतापगढ़ के मांड नदी मे चल रहे रेत खदान की स्वीकृति पुनः नए सिरे से होना आवश्यक है। पटवारी से नक्शा खसरा लिया जा चुका है। बैठक मे उपस्थित सदस्यों ने आपस मे चर्चा कर निर्णय लिया गया कि पटवारी द्वारा प्रदाय नक्शा-खसरा पंचशाला अनुसार खसरा नं. 1122 रकबा 12.950 हे. से (15 हेक्टेयर) आसानी पूर्वक परिवहन किया जा सकता है कारण कि उक्त स्थल से किसी भी प्रकार से ग्रामवासी एवं अन्य किसी को असुविधा नही होगी। पुलिया एवं मेनरोड प्रस्तावित स्थल से 600 मीटर की दूरी पर है। अतः बैठक मे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित माध्यम से खनिज शाखा अम्बिकापुर को भेजा जाना तय हुआ।	यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत प्रतापगढ़
जनपद पंचायत-सीतापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत-प्रतापगढ़
जनपद पंचायत-सीतापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

345 दिनांक 26.12.2013 ग्राम पंचायत ....

(खसरा)

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में

फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है

खाना 5 से 11 में रबी तथा खरीफ की जानकारी है

ग्राम : प्रतापगढ़ हल्का : 00013 रा नि : सीतापुर तहसील : सीतापुर जिला : सरगुजा वर्ष: 2018-19

भू-मापन क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम,उसके पिता का नाम या पति का नाम तथा निवास स्थान,अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई और देय राजस्व का लगान	*	क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल			खाते के बाहर के क्षेत्रो में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				फसल का नाम	फसल का क्षेत्रफल	दु-फसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1122	12.9500 भू-जल	(1)शासकीय भूमि स्वामित्व - शासकीय भूमि							भू-जल (12.950)		छत्तीसगढ़ शासन #Error

- किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौसमी काश्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल

पृष्ठ क्रमांक: 1 / 1

प्रतिलिपि प्रदान करने वाले का हस्ताक्षर

पटवारी ह.न.-19
रा.नि.म./तहसील-सीतापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

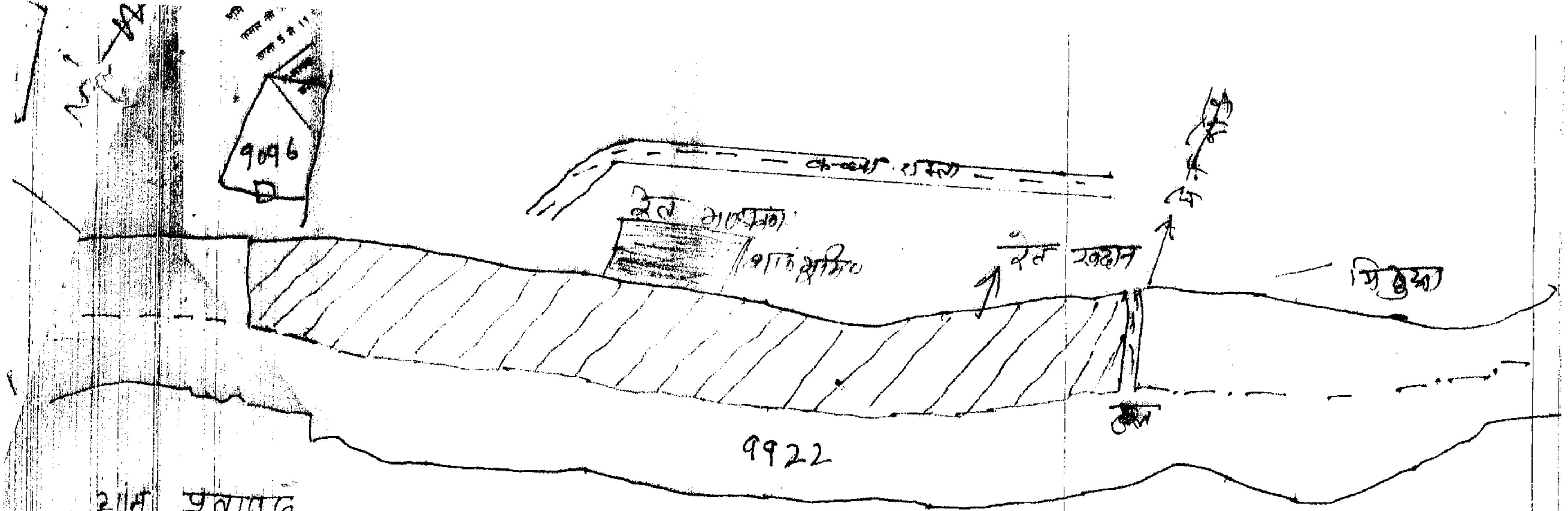

ग्राम प्रतापगढ़
प.ह.नं. 13
रा. नि. मं. सीतापुर
तह. सीतापुर
जिला - सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

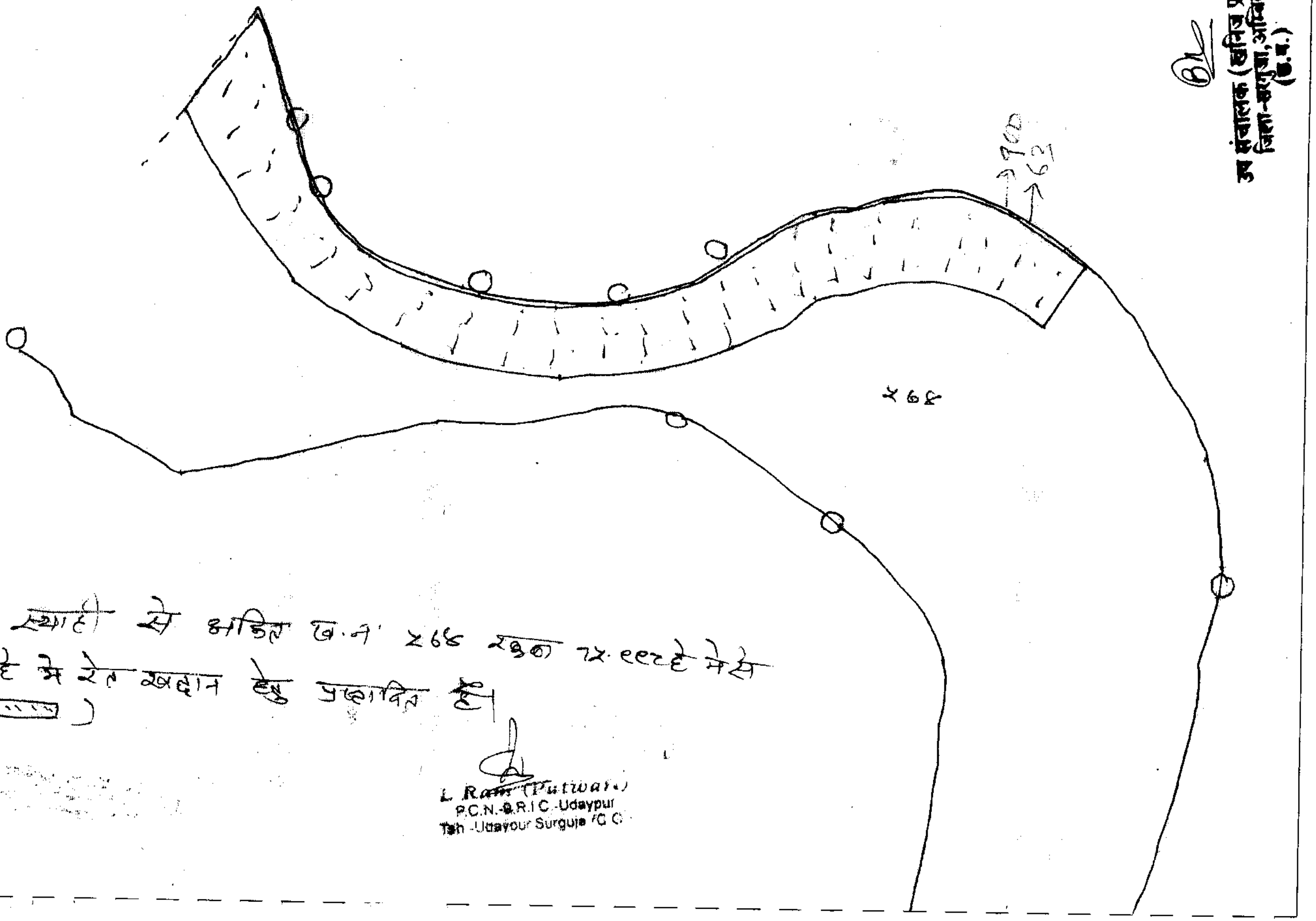

लाल स्याही से अंकित ख.नं. ५६६ रकबा ७५.११८हे मे से ५.०००हे मे रेत खदान हेतु प्रस्तावित है।

L. Ram (Patwari)
P.C.N.-8 R.I.C.-Udaypur
Tah.-Udaypur Surguja (C.G.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

XXII-P ... [illegible] उदयपुर जिला सरगुजा ([illegible])

S ttle [illegible]

P. II खसरा पांच

नंबर	रकबा यदि भूमि गैर खाते की है तो विवरण	पट्टेदार का नाम पिता अथवा पति का नाम सकूनत हल्के जमाय लगान देखो कंडिका 5 अध्याय 5 लैंड रिकार्ड मैन्यू जिल्द1)	भूमि स्वामी के पट्टेदार धारी या मौरूसी कृषक के उप पट्टाधारी का नाम पिता का नाम लगान या पट्टे राशि भूमि का रकबा	रकबा जो खाते में शामिल है						नाम ि और र जो खाते र में हु
				जिस पर साल अन्दर फसल हुई			पड़ती का रकबा			
				नाम जिन्स	रकबा	रकबा दुफसल	चालू वर्ष की पड़ती	5 साल से पड़ती [illegible]	अन्य पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
२६४	[illegible]	[illegible]								

[illegible signature]

L.Ram (Patwari)
P.C.N.-9,R.I.C.-Udaypur
Tah.-Udaypur,Surguja (C.G.)

[illegible signature]

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

र्यालय, ग्राम पंचायत - कवलगिरी

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 26/12/013

विकासखण्ड उदयपुर तहसील उदयपुर जिला सरगुजा

सत्य प्रति

मांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ता
	सर्वश्री सुरवराज सिंह अध्यक्ष, श्री प्रबोध सिंह सरपंच, श्री सोनसाय उप सरपंच, श्री रामदयाल पंच, श्री रामसिंह do, श्री बलदेवराम do, श्रीमती अमरासो बाई, श्री मुनेश्वरी बाई, श्री पनमेश्वरी बाई, श्री पार्वती बाई	प्रस्ताव क्रमांक - 11 ग्राम-पंचायत में आय बढ़ाने के लिए रेत बालू में रायल्टी (टैक्स) लगाने बाबत्। ग्राम कवलगिरी ख.क्र. 574 रेडनदी के 5.000 हे. में खदान घोषित कराने एवं क्रमीकरणीय (स्वीकृति) हेतु आवेदन करने बाबत्	आज दिनांक - 26-12-013 को ग्राम पंचायत कवलगिरी की ग्राम-सभा कार्यालय भवन कवलगिरी में श्री सुरवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित पंचो एवं सदस्यों के समक्ष सरपंच महोदय के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम पंचायत में आय का स्त्रोत बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत की रेत एवं बालू में टैक्स लगाया किया जावे जिससे ग्राम पंचायत में आय में बढ़ोत्तरी हो सके। अतः प्रस्ताव का उपस्थित सदस्यों के द्वारा समर्थन कर टैक्स लगाने हेतु प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया।	यह प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के द्वारा समर्थन कर सर्व-सम्मति से कर लगाने की प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।	सही

2. अन्य उपस्थित ग्राम (183)

...ंक वर्ती 011 दिनांक 26/12/013

सचिव
ग्राम पंचायत-कवलगिरी
ज.पं.उदयपुर,सरगुजा(छ.ग.)

सरपंच

ग्राम पंचायत कवलगिरी

उप संचालक (खनिज प्रशासन)

नक्शा
उदयपुर
सरगुजा (छ.ग.)
मील

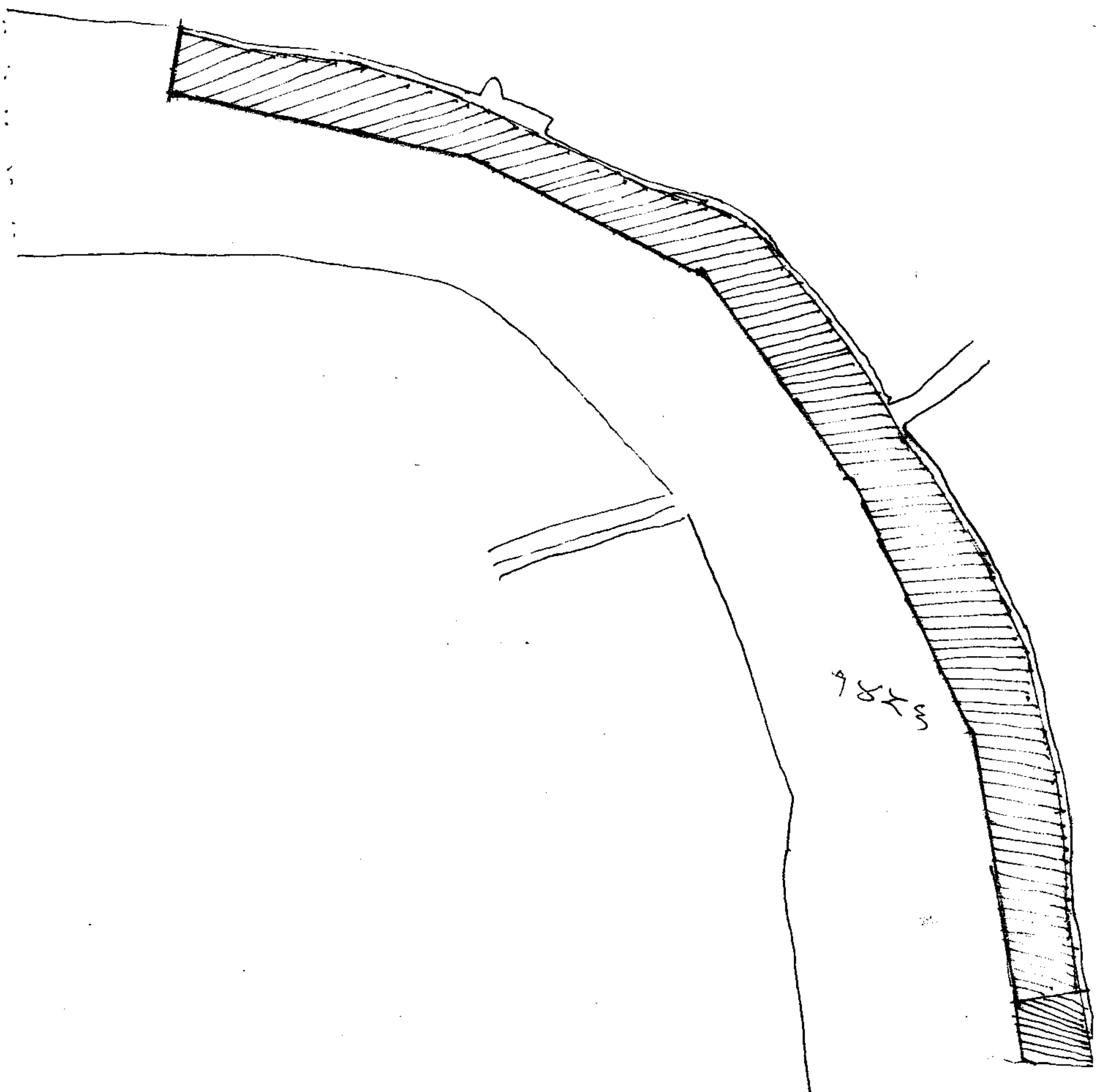

टीप : नक्शों में 5 हेक्टेयर क्षेत्र लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है, जिसमें रेत खदान प्रस्तावित है।

सरपंच
ग्राम पंचायत–जजगा
विकास खण्ड–उदयपुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

सचिव
पंचायत- जजगा
उदयपुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

L.Ram (Patwari)
P.C.N.-9,R.I.C.-Udaypur
Tah.-Udaypur Surguja (C.G.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)